

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2  
संख्या- 2/जी-2-62/दस-2014-59/81  
लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 2014

विजप्ति  
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फन्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्री कन्ट्रिब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रिब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड पेंशन इन्शयोरेन्श रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फन्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रिब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रिब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्शयोरेन्श फन्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-2015 में जमा कीगयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज कीदर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01-04-2014 से 8.7 प्रतिशत (आठ दशमलव सात प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर षहली अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू रहेगी।

आजा से,  
राहुल भट्टाचार  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-2/जी-2- 62(1)/दस-2014-59/81, तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अध्युक्त के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विजप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आजा से,  
बी०के० सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-2/जी-2-62(2)/दस-2014-59/81, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आजा से,  
बी०के० सिंह  
विशेष सचिव